स्टाइल गाइड

लिंग के आधार पर लिंग चुनाव और सुरक्षित गर्भपात की समस्या इन बारे में मीडिया से वृत्तांकन: मीडिया के लिए गाइडलाइन्स

आयपास-पॉप्युलेशन फर्स्टने बनाया हुआ स्टाइल गाइड लिंग के आधार पर लिंग चुनाव के बारे में तथा मीडिया में गर्भपात की समस्या पर वृत्तांकन करनेवाले अथवा उसका चित्रण करनेवाले (जन्मपूर्व उद्दिष्टपर ध्यान केंद्रित करते हुए) मीडिया को सहकार्य करनेवाला साधन है। उसका उद्दिष्ट मीडिया को लिंग के आधारपर लिंग चुनाव की समस्या महिलाओं के सुरक्षित गर्भपात सेवा के हक्क पर आपत्ति ना आए इसलिए मदत करने हेतु है।

लिंगाधारित लिंग चुनाव और गर्भपात इनके बारे में संवेदनशील, जानकारीयुक्त और बैलन्स रखते हुए किए गए सादरीकरण से निम्न बातों के लिए मदद हो सकती है।

- समाज में होनेवाला लिंगाधारित हिंसाचार और पक्षपात इन बारें में चर्चा करना
- महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात सेवा मिलने की पुष्टी करना और
- पुनर्जननक्षम स्वास्थ्य हेतु गर्भपात सर्वमान्य करना

परिभाषा

इस मुद्दे पर योग्य तरह से चित्रण करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण कार्य सुयोग्य संज्ञाओं का इस्तेमाल करना है। गर्भपात तथा/ या जन्मपूर्व लिंग चुनाव इन बारे में आसान और केंद्रित परिभाषाओं का इस्तेमाल करने से गर्भपात तथा जन्मपूर्व लिंग चुनाव को प्रतिबंध होगा और गर्भपात गैरकानूनी होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। भ्रूणहत्या या हत्या ऐसे गंभीर शब्दों का इस्तेमाल करने से महिला के मन में अपनी गर्भावस्था के बारे में और गर्भ के बारे में नकारात्मक विचार आते हैं और सुस्पष्टता नष्ट होती है। लिंगाधारित लिंग चुनाव के पहलू पर सोचते हुए महिला के सुरक्षित गर्भपात सेवाओं से संपर्कपर नकारात्मक परिणाम ना हो इसके बारे सोचना होगा।

निम्न संज्ञाओं इस्तेमाल न करना आवश्यक है

- **स्त्रीभ्रूणहत्याः** इस संज्ञा का नकारात्मक अर्थ होता है। यह शब्द हत्या को समानार्थी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार इस शब्द का उपयोग सिर्फ भ्रूणहत्या के लिए किया जाता है। वह गर्भपात पर कलंक रखता है।
- **लिंग चुनाव हेतु गर्भपातः** लिंग चुनाव को गर्भपात से जोडती है और कई बार सभी गर्भपात लिंग चुनाव के लिए किए जाते ऐसा अर्थ निकाला जाता है। यह अर्थ कई बार गलत साबित होता है।
- **हत्या/शिकार:** यह कठोर संज्ञाएँ हैं जिनसे नकारात्मकता ध्वनित होती है। इसकी वजह से भ्रूण का वैयक्तिकीकरण किया जाता है और जननसंबंधित अधिकारों की दृष्टि से यह बहुतही गंभीर है।
- **अजन्मा बच्चाः** यह संज्ञा भी भ्रूण का वैयक्तिकीकरण करती है। अधिकारों के नजरिये से भी यह संज्ञा सूचित नहीं की गयी

अजन्मा बच्चा जैसे संज्ञाओं का इस्तेमाल भ्रूण के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे गर्भपात का मतलब बच्चे की जान लेना ऐसा निकाला जाता है। इसी वजह से गर्भपात को समानार्थी शब्द के रूप में भ्रूणहत्या, हत्या या बळी ऐसी संज्ञाओं से इस्तेमाल करनेसे गर्भपात को गैरकानूनी माना जाता है जो असल में सच नाही।

सटीक संज्ञा

- सुरक्षित गर्भपातः आवश्यक सभी वैद्यकीय साधनों की उपस्थिति होनेवाले और गर्भपात करने के लिए सरकारी अनुमति होनेवाली जगहपर कुशल व्यक्ति के हातो किया गया गर्भपात।
- वैद्यकीय गर्भपातः सर्जिकल या वैद्यकीय प्रक्रिया से एमटीपी एक्टतहत रखी हुई शर्तोंपर हुए गर्भपात के लिए यह संज्ञा इस्तेमा की जाती है।

  गर्भावस्थापूर्व और प्रसूतिपूर्व जाँच तंत्रः इसका मतलब भ्रूण का लिंग पहचानने हेतु अथवा चुनाव हेतु इस्तेमाल की गयी प्रक्रिया ऐसा होता है। गर्भपूर्व लिंग पहचान बीज मिलनेसे पहले या उसके बाद भी की जा सकती है।

  बीजरोपण होने से पहले अपने चाहे लिंग के शुक्राणू विभिन्न लेबोरेटरी तंत्रों के इस्तेमाल से अलग किए जाते हैं और बीजांड से मीलन के हेतु इस्तेमाल किए जाते हैं। इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन एक ऐसी लोकप्रिय प्रक्रिया है जिससे हम बच्चे का लिंग चुन सकते हैं। अल्ट्रासाऊंड का इस्तेमाल बीजरोपण होने के बाद सर्वसामान्य पद्धती माना जाता है। भ्रूण का लिंग निश्चित करना और घोषित करना गैरकानूनी माना गया है। तथापि अल्ट्रासोनोग्राफी को नकारात्मक निश्चित ना करने हेतु कोशिश की जा सकती है क्योंकि चिकित्सा और गर्भावस्था से संबंधित कठिनाइयाँ पहचानने के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य करता है।
- प्रसूतीपूर्व लिंग चिकित्साः जन्म से पूर्व लिंग चिकित्सा करना मतलब जन्मपूर्व काल में किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक तंत्र का इस्तेमाल कर के लिंग चुनाव करने की घटना है।
- लिंगाधारित लिंग चुनावः इस संज्ञा के द्वारा लिंग चुनाव के सामाजिक स्तर स्पष्ट होते हैं। इनसे लडकी के जन्म से पूर्व उसके प्रति होनेवाला कोई भी पक्षपात दिखाई देता है। उसमें प्रसूतीपूर्व लिंग चिकित्सा भी समाविष्ट है।

रिपोर्टर्स के लिए टिप्पणी

गर्भपात

- गर्भपात का स्थान- गर्भपात के कानूनी होने के बारे में भारतीय स्त्री-पुरूषों में बहोत कम जागृती है। गर्भपात के बारे में चर्चा करते हुए उसपर लगे हुए कलंक की वजह उसमें कठिनाइयाँ बढ गई हैं। माता आरोग्य, मातामृत्यु अथवा बच्चों के लिंग गुणोत्तर कम होने की कथाओं के माध्यम से भारत में विभिन्न शर्तोंपर गर्भपात कानूनी माना गया है, यह बताना जरूरी है। उसके अलावा किसी भी हालात में लिंगाधारित लिंग चुनाव गैरकानून है यह भी बताना होगा। एक प्रशिक्षित तथा प्रमाणित चिकित्सकने किया हुआ गर्भपात एक सुरक्षित वैद्यकीय प्रक्रिया है।
- गर्भपात और नैतिकता इनका संबंध ना लगाऐं- एक स्त्री और उसका साथीदार विभिन्न वजहों से गर्भपात का निर्णय लेते हैं। गर्भपात अनैतिकता नहीं है और ऐसे संबंध जोडने से गर्भपातपर तथा गर्भपात करवानेवाली महिलापर कलंक लगता है। इस वजह से गर्भपात गैरकानूनी होने की भावना पनपती है और महिला को असुरक्षित गर्भपात का निर्णय लेना पडता है।

लिंगाधारित लिंग चुनाव

लिंगचिकित्सा हेतु जाँच कहाँ और कैसे की जाती है और उसके रिपोर्ट जिस प्रकार बताए जाते हैं, यह बातें बताना गलत है। ऐसी जानकारी मिलने के बात लडके की चाह रखनेवाले मातापिता को उसका फायदा होगा। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत हम अपनी रिपोर्ट से भारत में गैरकानूनी घटनाओं के बारे में बता सकते हैं।

इस संवाद का मुख्य लक्ष्य कुछ भारतीय परिवारों में लडकियों का स्वागत क्यों नहीं होता इसपर होना चाहिए। उसकी वजह पितृसत्ताक तत्व और लिंग से संबंधित पक्षपातों में है। लडके को महत्त्व देने के संदर्भ में लिंगाधारित पक्षपात और लिंगाधारित हिंसाचार इनके बारे में लिंग से संबंधित पक्षपात और चुनाव करना टल सकता है। और लडकी का महत्त्व तथा महिला और उसके परिणामस्वरूप भारत में लडकियों का अस्तित्व दिखानेवाले लिंक्स दिखाना जरूरी है।

महिलाओं को दोषी नहीं ठहराएँ

कई बार गर्भपात इस विषयपर वार्तांकन करते हुए प्रसुतीपूर्व लिंग चुनाव, अर्भकों की हत्या या बच्चों का त्याग इन बारे में प्रमुख लक्ष्य माँ या साँस को किया जाता है। लडके को प्राधान्य देने में अत्यंत शक्तिशाली सामाजिक तथा कौटुंबिक परिस्थिती कारण होती है।

महिलाओं को गर्भपात की आवश्यकता के बारे में जनता में जागृती करना

संशोधन से यह साबित हुआ है कि हर स्त्री पुरूष को गर्भनिरोधक आसानी से उपलब्ध होते हुए भी गर्भपात की आवश्यकता हो सकती है। हर साल लगभग ३३ दशलक्ष निरोधक इस्तेमाल करनेवालों को गर्भपात की आवश्यकता हो सकती है (डब्ल्यूएचओ २०१२) भारत में कई महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। उससे वह अपने लैंगिक तथा जननसंबंधी चुनाव नहीं कर पाती हैं और उन्हे गर्भनिरोधक तथा बाकी स्वास्थ्यसेवा आसानी से उपलब्ध नहीं होती। महिलाओं को अपने जननसंबंधी अधिकारों पर नियंत्रण देने हेतु गर्भनिरोधक तथा सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ आसानीसे उपलब्ध होना जरूरी है।

गलतफहमी तथा दावा	सत्य
गर्भपात गैरकानूनी तथा गुनाह है।	भारत में अगर गर्भधारणा बलात्कार फलित हो या महिला या बच्चे की जान को उससे खतरा हो और गर्भधारणा निरोधक की असफलता का फलित हो तो गर्भपात को कानूनी अनुमति है।
गर्भपात गर्भधारणा से ज्यादा असुरक्षित होते हैं।	एक प्रशिक्षित चिकित्सक की देखभाल में गर्भपात किया जाए तो अत्यंत सुरक्षित होता है।
दूसरे त्रैमासिक में किए गर्भपात गैरकानूनी होते हैं।	एमटीपी एक्टतहत गर्भपात २० सप्ताहों तक कानूनी है। तथापि, एमटीपी एक्टतहत गर्भावस्था १२ हफ्तों से ज्यादा हो और २० हफ्तोंतक हो तो एक रजिस्टर्ड चिकित्सक एक्ट में लिखे गए पद्धती से कर सकता है और उसके लिए दो रजिस्टर्ड वैद्यकीय सेवादाताओं की सलाह जरूरी है।
सभी गर्भपात लिंग चुनाव हेतु किए जाते हैं।	भारत में केवल २-४ फीसदी गर्भपात लिंगचुनाव हेतु किए जाते हैं। (झा एट अल २०११) एक विशिष्ट कालखंड में या एक विशिष्ट एरिया में गर्भपात की संख्या बढने की जानकारी मतलब लिंग चुनाव से संबंधित गर्भपातों मे बढोती ऐसा माना नहीं जाना चाहिए।
केवल अनैतिक गर्भधारणा होनेवाली महिलाएँ गर्भपात करती हैं।	अहवालों से यह साबित होता है कि भारत में विवाहित महिलायें सबसे ज्यादा गर्भपात करवाती हैं।
गर्भपात और आय पील्स एकही हैं।	वैद्यकीय गर्भपात की दवाइयों का इस्तेमाल गर्भावस्था निश्चित होनेपर उसे निकालने हेतु किया जाता है। आपत्कालीन दवाइयों का इस्तेमाल गर्भावस्था ना रहे इसलिए किया जाता है।

हेडिंग बनाते वक्त

हम कई बार ऐसा देखते हैं कि अत्यंत संवेदनशील खबरों को सनसनाटी या लोगों को आकर्षित करनेवाले हेडिंग दिए जाते हैं। हमारी हेडिंग से खबरों की जानकारी स्पष्ट करना जरूरी है। गलतफहमी फैलानेवाले और सनसनाटी हेडिंग की वजह से खबरों का सकारात्मक संदेश प्रदूषित होने की संभावना होती है। हेडिंग ठीकसे दिखनेवाले और आकर्षित करनेवाले होते हैं। इसलिए वो याद रहते हैं और उसकी वजह से पढनेवालों के मन में इन समस्याओं पर अपनी राय होने की संभावनाभी होती है। महिलाओं को दोषी ठहरानेवाले हेडिंग ना दें। जैसे, माँ के नामपर धब्बा या गर्भपात करनेवाली महिला को गुनहगार ठहराने वाले जैसे अजन्मे बालक की हत्या या नैतिक धब्बा लगानेवाले हेडिंग, गर्भपात करानेवाली महिला को पापी या अनैतिक ठहरानेवाले हेडिंग ना दें। सकारात्मक हेडिंग की वजह से सकारात्मक सोच जाएगी और उससे संबंधित कलंक भी नष्ट हो जाएगा।

Misleading and sensational headings diluting the positive messages

गर्भपात के नाम पर बिक रही 'मौत' की दवा

Satyamev Jayate effect?

Madhya Pradesh acts against 65 Medical Termination of Pregnancy centres

चित्र

भाषा की तरह गर्भपात की कथा बतानेवाले चित्र भी महत्त्वपूर्ण होते हैं। नाट्यमय चित्र अथवा छायाचित्र का इस्तेमाल न करें। जैसे पूरे दिन भरा हुआ गर्भ अथवा रक्तलांच्छित, खराब दिखनेवाला (गर्भपात किया हुआ)भ्रूण। इनकी वजह से गर्भपात का संबंध हत्या से जोडा जाता है और उससे नकारात्मक भावना पनपती है।

मीडिया के सवाल

किसी भी पूछताछ या स्पष्टता हेतु कृपया संपर्क करें- पॉप्युलेशन फर्स्ट और आयपास